

मणपुरि ने RBI के दंगा प्रावधानों को लागू किया

हाल ही में मणपुरि सरकार ने दंगों और हिसा से प्रभावित राज्य में गंभीर स्थितियों को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के दंगा प्रावधानों को लागू किया है।

- दशा-नरिदेश में संकट के कारण उधारकर्त्ताओं द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता को स्वीकार किया गया और प्रभावित व्यक्तियों के लिये राहत उपायों की मांग की गई।
- जबकि आमतौर पर इसे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में लागू किया जाता है, यह कदम कानून-व्यवस्था की स्थितियों के जवाब में इसके उपयोग का पहला उदाहरण है।

प्रावधान:

- **RBI दशा-नरिदेश 2018:**
 - प्रावधान "भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय) दशा-नरिदेश, 2018" के अध्याय संख्या 7 के अनुसार है।
 - जब भी RBI बैंकों को दंगा/अशांत प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास सहायता देने की सलाह देता है, तो इस उद्देश्य के लिये बैंकों द्वारा उपरोक्त दशा-नरिदेशों का पालन किया जाता है।
 - यह प्रावधान विशेष रूप से "दंगे और अशांत" को संबोधित करता है।
 - इसके न्यूनतम कई मानदंडों को नरिदिष्ट करते हैं जिनका पालन ऋणों के पुनर्गठन, नए ऋण प्रदान करने और केवाईसी मानदंडों सहित अन्य उपायों के लिये किया जाता है।
 - नरिदेशों के अनुसार, दंगों के समय अतदिय को छोड़कर सभी अल्पकालिक ऋण पुनर्गठन के पात्र होंगे।
- **प्रयोज्यता:**
 - इन नरिदेशों के प्रावधान प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (RBI द्वारा भारत में संचालित लाइसेंस प्राप्त लघु वित्त बैंक (SFB) और कषेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB को छोड़कर) पर लागू होंगे।
- **फसल ऋण:**
 - फसल ऋण के मामले में यदि नुकसान 33% और 50% के बीच है, तो उधारकर्त्ता अधिकतम दो वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि हेतु पात्र हैं। यदि फसल का नुकसान 50% से अधिक है, तो पुनर्भुगतान अवधि अधिकतम पाँच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
 - इसके अतिरिक्त सभी पुनर्गठित ऋण खातों में कम-से-कम एक वर्ष की अधस्थगन अवधि होगी।
- **दीर्घकालिक कृषि ऋण:**
 - यदि उत्पादक संपत्तियों को नुकसान पहुँचाए बिना फसल कषतग्रिस्त हो जाती है, तो बैंक प्रभावित वर्ष हेतुकसित भुगतान को पुनर्नरिधारित कर सकते हैं और ऋण अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकते हैं।
 - इसके अतिरिक्त बैंकों के पास उधारकर्त्ताओं द्वारा ब्याज भुगतान को स्थगित करने का विकल्प है। हालाँकि यदि उत्पादक संपत्तियों भी कषतग्रिस्त हो जाती हैं, तो नए ऋण की आवश्यकता हो सकती है।
- **नया ऋण:**
 - बैंक उधारकर्त्ताओं की ऋण आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर ऋण अनुमोदन प्रक्रियाओं का पालन करेंगे तथा मौजूदा उधारकर्त्ताओं को व्यक्तगत गारंटी के बिना 10,000 रुपए तक संपारश्वकि-मुक्त उपभोग ऋण की पेशकश कर सकते हैं चाहे परसिपत्ता का मूल्य ऋण की राशि से कम क्यों न हो।
- **KYC मानदंडों में छूट:**
 - जनि व्यक्तियों ने दंगों के कारण अपने दस्तावेज़ खो दिये हैं उनके लिये बैंकों को नए खाते खोलने की ज़रूरत है।
 - यह वहाँ लागू होगा जहाँ खाते में शेष राशि 50,000 रुपए से अधिक नहीं होगी तथा खाते में कुल क्रेडिट 1,00,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिये।

ऋण पुनर्गठन:

- **परचिय:**
 - ऋण पुनर्गठन व्यवसायों, व्यक्तियों और सरकारों को ऋणों पर कम ब्याज दरों पर वारता करके दवालियापन से बचने की अनुमति देता है। जब किसी देनदार को अपने बलियों का भुगतान करने में परेशानी होती है तो ऋण पुनर्गठन दवालिया होने की तुलना में आसान होता है। यह देनदार एवं लेनदार दोनों की सहायता कर सकता है।
 - कंपनियों शीघ्रता से लचीलापन हासिल करने और समग्र ऋण भार का प्रबंधन करने के लिये अपनी ऋण प्रतबिद्धताओं की शर्तों पर वारता करके दवालिया होने से बच सकती हैं।

■ लाभ:

- ऋण पुनर्गठन का मुख्य लक्ष्य व्यवसाय को बचाना और इसे बनाए रखना है।
- यह कानून की सहायता से व्यवसाय को लेनदारों से बचाता है।
- यदि कंपनी दवािलिया नहीं होती है, तो इस स्थिति में लेनदारों को अधिक पैसा वापस मलितल है। जब बलत उन लोगों की आती है जो पैसल उधर लेनल चलते हैं, तब ऐसे में ऋण-पुनर्गठन वयक्तगित ऋण लेनदारों को बेहतर परणलम व ललभ परलप्त करने में मदद करता है।

परश्न. नमिनलखिति कथनों में से कौन-सल हल ही में सलललरों में आए 'दबलवयुक्त परसिंपततयिों की धलरणिय संरचनल पदधतल' (स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेसड एसेट्स/S4A)' कल सर्वोत्कृष्ट वरणन करता है? (2017)

- (a) यह सरकलर दवलरल नरूपित वकिलसपरक योजनलओं की पलरसिथतिलि कीमतों पर वधिलर करने की पदधतल है।
- (b) यह वलसतवकिल कठनिलइयों कल सलमनल कर रही बड़ी कॉरपोरेट इकलइयों की वतिलीय संरचनल के पुनरसंरचनल के लयिल भरततीय रजिर्व बैंक की स्कीम है।
- (c) यह केंदीय सलरवजनकिल कषेत्र उपकरमों के बलरे में सरकलर की वनिलविश योजनल है।
- (d) यह सरकलर दवलरल हल ही में करयलनवतिल 'इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड' कल एक महत्त्वपूरण उपबंध है

उत्तर: (b)

[स्रोत:द हद्लि](#)

वसुतर उदयुग से नकिलने वलले अपशषिट जल हेतु उपचलर संयंतर

- एक संयुक्त परयलस में NIT वलरंगल, परलइम टेकसुटलइलस और IMPRINT ने परलयुगकिल सुतर परकपडल अपशषिट उपचलर संयंतर के मलध्यम से तेलंगलनल के हनुमलकौंडल जल्लि में स्थतिल कपडल और परधलन उदयुग में अपशषिट जल को उपचलरतिल करने के लयिल परयलवरण-अनुकूल सलमलधलन वकिलसतिल कयिल है।
- इस नवलनूमेषी तकनीक में वषिले अपशषिट जल को आस-पलस के कृषल कषेत्रों के लयिल मूल्यवलन सलचलई स्रोत में बदलने की अपलर कषमतल है, सलथ ही मौजूदल उपचलर वधिलयिों के लयिल एक स्थलथी वकिलप भी परदलन करतिल है।

वसुतर उदयुग से नकिलने वलले अपशषिट के परबंधन की आवशुयकतल:

- कपडल अपशषिट परदूषतिल रंगों, घुले हुए ठुस पदलरथों, नल्लिंबतिल ठुस और जहरीली धलतुओं जैसे परदूषकों से अत्यधकिल दूषतिल हुतल है।
- परयलवरण में छोड़े जलने से पहले ऐसे अपशषिट को उपचलरतिल करने के लयिल कुशल परौदयुगकिलयिों की आवशुयकतल हुतिल है।

तकनीक की कर्यपरणलली:

- कपडल अपशषिट जल के उपचलर के लयिल वकिलसतिल की गई नवीन तकनीक में बलयुसरफैक्टेंट, कैवटिलशन और मेम्बरेन परौदयुगकिलयिों कल सलमूहकिल रूप से परयुग कयिल जलतल है।
 - बलयुसरफैक्टेंट:
 - बलयुसरफैक्टेंट सूकषमजीवों दवलरल उत्पलदतिल परलकृतकिल युगकिल हैं तथल इनमें सतह-सकरयिल गुण हुते हैं।
 - कपडल अपशषिट उपचलर संयंतर में अपशषिट जल से डलई को हटलने में सलहलतल के लयिल मूवगिल बेड बलयुफलिम रफिक्टर (MBBR) में बलयुसरफैक्टेंट कल उपयुग कयिल जलतल है।
 - MBBR में बलयुसरफैक्टेंट्स के उपयुग से न केवल डलई हटलने की दकषतल में सुधलर हुतल है बलुकल अनूय जैवकिल उपचलर वधिलयिों की तुलनल में परचललन सलमय एवं ललगत भी कम हुे जलतिल है।
 - गुहकिलयन (Cavitation):
 - गुहकिलयन एक उन्नत ऑकसीकरण परकरयिल (AOP) है, जसलकल उपयुग उपचलर संयंतरों में कयिल जलतल है।
 - इसमें एक तरल पदलरथ में दबलव भनिलनतल शलमलल है, जसलसे अनगनित छोटी गुहलओं कल नरिलमण हुतल है।
 - गुहकिलयन परधितनल अपशषिट जल में वभनिलन परदूषकों को नषट करने में सलहलक है, जसलसे ऑकसीकरण करने वलले कण उत्पन्न हुते हैं, जो परदूषकों के कषरण में महत्त्वपूरण भूमकिल नभलते हैं।
 - यह परकरयिल उपचलर संयंतर की स्थलपनल ललगत और कलरबन फुटपरटिल को कम करने में युगदलन देतिल है।
 - मेम्बरेन तकनीक:
 - परदूषकों के पृथक्करण और नषिकलसन को बढलने के लयिल कपडल अपशषिट उपचलर संयंतर में मेम्बरेन तकनीक कल उपयुग कयिल जलतल है।
 - झलिली की सतह को बुरुहेमलइट सुल के सलथ सुल-जेल परकरयिल कल उपयुग करके संशुधतिल कयिल जलतल है, जेछदिलर के आकलर को सूकषम-स्कले से नैनु-स्कले तक कम कर देतल है।

- यह संशोधन प्रदूषकों को प्रभावी ढंग से अलग कर और फँसाकर झिल्ली के कार्य में उल्लेखनीय रूप से सुधार करता है, जिससे स्वच्छ उपचारित पानी प्राप्त होता है।

■ समग्र उपचार प्रक्रिया:

- समग्र उपचार प्रक्रिया में नलिंबति ठोस पदार्थों की गंदगी को दूर करने के लिये जमावट, भारी धातु की कमी और बायोडिग्रेडेबल प्रदूषकों के क्षरण हेतु MBBR में बायोफिलिम वृद्धि, प्रदूषक वनिाश तथा ऊर्जा उत्पादन के लिये गुहकियायन एवं कुशल प्रदूषक पृथक्करण के लिये सतह-संशोधित झिल्ली का उपयोग शामिल है।
- 200 लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला पायलट प्लांट कृषि उपयोग और सफाई उद्देश्यों के लिये अपशिष्ट जल का सफलतापूर्वक उपचार करता है।



UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वरष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. जैविक ऑक्सीजन मांग (BOD) कसिके लिये एक मानक मापदंड है? (2017)

- रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापने के लिये
- वन पारस्थितिक तंत्र में ऑक्सीजन स्तरों के अभकिलन के लिये
- जलीय पारस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिये
- उच्च तुंगता क्षेत्नों में ऑक्सीजन स्तरों के आकलन के लिये

उत्तर: (c)

- जैविक ऑक्सीजन मांग (BOD) एक नश्चिति समय अवर्धामें एक नश्चिति तापमान पर जल के दयि गए नमूने में कार्बनकि पदार्थ को वधिटति करने के लिये वायुजीवी (एरोबकि) जीवों द्वारा आवश्यक घुलति ऑक्सीजन की मात्रा है।
- BOD जल में प्रदूषति जैविक सामग्री के लिये सबसे आम उपायों में से एक है। BOD जल में मौजूद सड़ने योग्य कार्बनकि पदार्थ की मात्रा को इंगति करती है। इसलिये कम BOD अच्छी गुणवत्ता वाले जल का सूचक है, जबकि उच्च BOD प्रदूषति जल को इंगति करता है।
- सीवेज और अनुपचारित जल के नरिवहन के परणामस्वरूप घुलति ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि उपलब्ध घुलति ऑक्सीजन की अधकिता अवक्रमण प्रक्रिया में वायुजीवी (एरोबकि) बैक्टीरिया द्वारा उपभोग की जाती है, ऑक्सीजन पर नरिभर अन्य जलीय जीवों को ऑक्सीजन से वंचति करके ही वे जीवति रह सकते हैं।

अतः वकिल्प (c) सही है।

प्रश्न. प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैवोपचारण (बायोरेमीडिएशन) तकनीक का/के कौन-सा/से लाभ है/हैं? (2017)

1. यह प्रकृति में घटति होने वाली जैवनिमीकरण प्रक्रिया का ही संवर्द्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है।
2. कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त कसी भी संदूषक को सूक्ष्मजीवों के प्रयोग से जैवोपचारण द्वारा सहज ही पूरी तरह उपचारित कया जा सकता है।
3. जैवोपचारण के लिये वशिषतः अभकिल्पति सूक्ष्मजीवों को सृजति करने के लिये आनुवंशकि इंजीनियरिंग (जेनेटकि इंजीनियरिंग) का उपयोग कया जा सकता है।

नीचे दयि गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- केवल 1
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर:(c)

व्याख्या:

- जैवोपचारण एक उपचार प्रक्रिया है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूक्ष्मजीवों (खमीर, कवक या बैक्टीरिया) का उपयोग खतरनाक पदार्थों को कम विषाक्त या गैर-विषाक्त पदार्थों में वखिंडति करने, नमिनीकरण करने के लिये करती है।
- सूक्ष्मजीव कार्बनिक प्रदूषकों को अहानिकर उत्पादों मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में वखिंडति कर देते हैं। यह एक लागत प्रभावी, प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कई सामान्य जैविक कचरे पर लागू होती है। उत्सर्जन स्रोत पर ही कई जैवोपचारण तकनीकों का संचालन किया जा सकता है। अतः कथन 1 सही है।
- सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके सभी संदूषकों को जैवोपचारण द्वारा आसानी से उपचारित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिये कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्मजीवों के प्रयोग से जैवोपचारण द्वारा सहज ही और पूरी तरह उपचारित नहीं किया जा सकता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
- जैवोपचारण के वशिष्ट उद्देश्यों के लिये डिज़ाइन किये गए सूक्ष्मजीवों को बनाने हेतु जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिये जैवोपचारण के लिये वशिष्ट: अभिकल्पित सूक्ष्मजीवों को सृजित करने हेतु आनुवंशिक इंजीनियरिंग (जेनेटिक इंजीनियरिंग) का उपयोग किया जा सकता है। अतः कथन 3 सही है।

अतः विकल्प (c) सही है।

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 24 जून, 2023

महादयी नदी पर कलसा-बंदूरी परियोजना

कर्नाटक की पूर्व राज्य सरकार द्वारा वधानसभा चुनावों से ठीक पहले शुरू की गई विवादास्पद कलसा-बंदूरी परियोजना हेतु नविदाओं को वन और पर्यावरण मंजूरी के अभाव के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कलसा-बंदूरी परियोजना का लक्ष्य कर्नाटक के बेलगावी, धारवाड़, बागलकोट एवं गडग जिलों में पेयजल आपूर्ति में सुधार करना है। इसमेंमालप्रभा नदी (कृष्णा नदी की एक सहायक नदी) से जोड़ने हेतु महादयी नदी की दो सहायक नदियों कलसा और बंदूरी पर बैराज बनाना शामिल है। महादयी या म्हादेई पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कर्नाटक के बेलगावी जिले के भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य (पश्चिमी घाट) से निकलती है। यह नदी गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के जिलों से होकर प्रवाहित होती है। कलसा-बंदूरी परियोजना अंतरराज्यीय जल विवाद, पर्यावरण संबंधी चिंताओं तथा स्थानीय समुदायों के वरोध के कारण विवादास्पद है।



और पढ़ें... [महादयी नदी और कलसा-बंदूरी परियोजना](#)

असम में आई बाढ़ और बेकी नदी

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दैनिकी बाढ़ रपिर्ट के अनुसार, असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, राज्य के लगभग 20 जिले लगातार हो रही बारिश से प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी बेकी फलिहाल खतरे के नशान से ऊपर बह रही है, बाढ़ के जल ने तटबंधों, सड़कों और पुलों सहित विभिन्न बुनियादी ढाँचों को बहुत नुकसान पहुँचाया है। बेकी नदी भूटान से निकलती है (जैसे कुरसि नदी के नाम से भी जाना जाता है) और ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिने किनारे की ओर बहने वाली सहायक नदियों में से एक है। इस नदी का एक बड़ा हिस्सा असम से होकर बहता है। यह नदी असम में कई समुदायों के लिये आजीविका और परिवहन साधन के रूप में कार्य करती है।

और पढ़ें... [ब्रह्मपुत्र नदी](#)


बायोडिग्रेडेबल बर्तन: BIS

हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने IS 18267: 2023 "कृषि-उत्पादों से बने भोजन परोसने वाले बर्तन- वशिष्टता" जारी किया जिसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना और स्थिरता को बढ़ावा देना है। इस मानक में बायोडिग्रेडेबल बर्तनों के उत्पादन के लिये कच्चे माल, वनस्पति तैयारी, प्रदर्शन और स्वच्छता आवश्यकताओं सहित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। ये बर्तन हानिकारक योजकों से मुक्त हैं तथा उपभोक्ता की अच्छी सेहत को सुनिश्चित करते हैं। यह मानक कृषकों के लिये आर्थिक अवसर भी उत्पन्न करता है और [सतत कृषिपद्धतियों](#) का समर्थन करता है। इसके साथ यह ग्रामीण विकास में योगदान देता है और [चक्रीय अर्थव्यवस्था](#) को बढ़ावा देता है। BIS की स्थापना वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास तथा उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिये की गई है। इसकी स्थापना BIS अधिनियम, 1986 द्वारा की गई थी और यह उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है। एक नया [BIS अधिनियम 2016](#) अक्टूबर 2017 से लागू किया गया था। अधिनियम BIS को भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में स्थापित करता है।

और पढ़ें... [भारतीय मानक ब्यूरो \(BIS\), प्लास्टिक प्रदूषण](#)

कैनरी द्वीप समूह

प्रवासन पर ध्यान केंद्रित करने वाले दो संगठनों द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, स्पेन के कैनरी द्वीप की ओर जा रही एक छोटी नाव के डूबने से 30 से अधिक प्रवासियों की मौत हो गई। स्पेन के कैनरी द्वीपअटलांटिक महासागर में एक द्वीपसमूह से मलिकर बने हैं। कैनरी में ला पाल्मा और सांता क्रूज़ डे टेनेरिफ के स्पेनिश प्रांत शामिल हैं। कैनरी द्वीप समूह का निर्माण लाखों वर्ष पूर्व ज्वालामुखी वसिफोट से हुआ था।



और पढ़ें... [कैनरी द्वीप समूह](#)

